

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(3)नविवि/चित्तौड़गढ़/2017

जयपुर, दिनांक :- 16 AUG 2017

आदेश

ले-आउट प्लान/भवन निर्माण स्वीकृति के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक प.10(24)नविवि/2010 दिनांक 12.06.2010 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास- अध्यक्ष ।
2. सचिव, नगर विकास न्यास-सदस्य ।
3. न्यास में पदस्थापित वरिष्ठ/उप/सहायक/नगर नियोजक- सदस्य सचिव ।
4. सम्बन्धित क्षेत्र का अधिशाषी/सहायक अभियंता-सदस्य ।

अतः सचिव, नगर विकास न्यास के स्थान पर नगर विकास न्यासों में भवन मानचित्र/ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर विकास न्यास द्वारा की जावेगी ।

उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग से अनुमोदित है ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग ।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग ।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ।
4. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास समस्त- ।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग ।
6. निदेशक, स्थानीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत- ।
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग ।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव-नविवि को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे ।
11. रक्षित पत्रावली ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम